रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 1972/फाल्गुन 16, 1893
No. 131] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 1972 PHALGUNA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 6th March, 1972

S.O. 175(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amned the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Amendment) Rules, 1972.

(2) Save as otherwise provided, these rules shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1971.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), rule 6AA shall be re-numbered as rule 6AC, and before rule 6AC as so re-numbered, the following rule shall be inserted, namely:—

"6AA. *Form of audit report for claiming deductions under sections* 35D *and* 35E.—The report of audit of the accounts of an assessee, other than a company or a co-operative society, which is required to be furnished under sub-section (4) of section 35D or sub-section (6) of section 35E shall be in Form No. 3B.".

3. After rule 6AA of the principal rules as so inserted, the following rule shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1972, namely:—

"66B. *Form of audit report for claiming deductions under sections 80MM and 80-O.*—The report of audit of the accounts of an assessee, other than a company or a co-operative society, which is required to be furnished under sub-section (2A) of section 80MM or sub-section (2) of section 80-O shall be in Form No. 3C.".

4. After rule 14 of the principal rules, the following rule shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1972, namely:—

"14A. *Form of application objecting to an assessment made under section 143(1).*—The application to be made an assessee under clause (a) of sub-section (2) of section 143, in a case where he objects to an assessment made under sub-section (1) of that section, shall be in Form No. 6A.".

5. In Part IV of the principal rules,—

(a) for the heading "TAX EXEMPTIONS", the heading "TAX EXEMPTIONS AND RELIEFS" shall be substituted;

(b) after rule 21, the following rules shall be inserted, namely:—

"21A. *Relief when salary is paid in arrears or in advance, etc.*—(1) Where, by reason of any portion of an assessee's salary being paid in arrears or in advance or by reason of his having received in any one financial year salary for more than twelve months or a payment which under the provisions of clause (3) of section 17 is a profit in lieu of salary, his income is assessed at a rate higher than that at which it would otherwise have been assessed, the relief to be granted under sub-section (1) of section 89 shall be—

(a) where any portion of the assessee's salary is received in arrears or in advance, in accordance with the provisions of sub-rule (2);

(b) where the payment is in the nature of gratuity in respect of past services of the assessee extending over a period of not less than five years, in accordance with the provisions of sub-rule (3);

(c) where the payment is in the nature of compensation received by the assessee from his employer or former employer at or in connection with the termination of his employment after continuous service for not less than three years and where the unexpired portion of his term of employment is also not less than three years, in accordance with the provisions of sub-rule (4);

(d) where the payment is in commutation of pension, in accordance with the provisions of sub-rule (5); and

(e) where the payment is not in the nature of salary paid in arrears or in advance or gratuity in respect of past services or compensation received at or in connection with the termination of employment or in commutation of pension, in accordance with the provisions of sub-rule (6).

(2)(a) In a case referred to in clause (a) of sub-rule (1), the tax payable by the assessee on his total income of the previous year in which the salary is received in arrears or in advance (such salary and such previous year being hereafter in this sub-rule referred to respectively as the additional salary and the relevant previous year) shall be reduced by the amount, if any, by which the tax on the additional salary, calculated in the manner specified in clause (b), exceeds the tax or the aggregate tax on the additional salary, calculated in the manner specified in clause (c) or clause (d), as the case may be.

(b) Tax shall be calculated on the total income of the relevant previous year as reduced by the additional salary, as if the total income so reduced were the total income of the assessee, and the amount by which the tax so calculated falls short of the tax on the total income before such reduction shall, for the purposes of clause (a), be taken to be the tax on the additional salary under this clause.

(c) Where the additional salary relates to only one previous year, tax shall be calculated on the total income of the said previous year as increased by the additional salary, as if the total income so increased were the total income of the assessee, and the amount by which the tax so calculated exceeds the tax payable by the assessee in respect of the total income of the said previous year shall, for the purposes of clause (a), be taken to be the tax on the additional salary under this clause.

(d) Where the additional salary relates to more than one previous year,—

(i) the previous years to which the additional salary relates and the amount relating to each such previous year shall first be ascertained;

(ii) tax shall, then, be calculated on the total income of each such previous year as increased by the amount relating to such previous year ascertained under sub-clause (i), as if the total income so increased were the total income of that previous year, and

the amount by which the aggregate amount of tax in respect of the aforesaid previous years as calculated under sub-clause (ii) exceeds the aggregate amount of tax payable by the assessee in respect of the total income of the said previous years shall, for the purposes of clause (a), be taken to be the aggregate tax on the additional salary under this clause.

(3)(a) In a case referred to in clause (b) of sub-rule (1), the tax payable by the assessee on his total income of the previous year in which the payment by way of gratuity is received (such previous year being hereafter in this sub-rule referred to as the relevant previous year) shall be reduced by the amount, if any, by which the tax on the amount of the gratuity included in the total income of the relevant previous year, calculated at the average rate of tax applicable to such total income, exceeds the tax on the amount of such gratuity, calculated at the rate of tax determined under clause (b) or, as the case may be, clause (c).

(b) Where the payment by way of gratuity is made in respect of past services of the assessee extending over a period of not less than five years but less than fifteen years, —

(i) the total income of the assessee in respect of each of the two previous years immediately preceding the relevant previous year shall be increased by an amount equal to one-half of the amount of the gratuity included in the total income of the relevant previous year, and the average rate of tax for each of the said two previous years shall be calculated as if the total income so increased were the total income of that previous year; and

(ii) the average of the average rates of tax for the two previous years immediately preceding the relevant previous year, calculated in accordance with sub-clause (i), shall, for the purposes of clause (a), be the rate of tax determined under this clause.

(c) Where the payment by way of gratuity is made in respect of past services of the assessee extending over a period of not less than fifteen years,—

(i) the total income of the assessee in respect of each of the three previous years immediately preceding the relevant previous year shall be increased by an amount equal to one-third of the amount of the gratuity included in the total income of the relevant previous year, and the average rate of tax for each of the said three previous years shall be calculated as if the total income so increased were the total income of that previous year; and

(ii) the average of the average rates of tax for the three previous years immediately preceding the relevant previous year, calculated in accordance with sub-clause (i), shall, for the purposes of clause (a), be the rate of tax determined under this clause.

(4) (a) In a case referred to in clause (c) of sub-rule (1), the tax payable by the assessee on his total income of the previous year in which the payment by way of compensation is received (such previous year

being hereafter in this sub-rule referred to as the relevant previous year) shall be reduced by the amount, if any, by which the tax on the amount of the compensation included in the total income of the relevant previous year, calculated at the average rate of tax applicable to such total income, exceeds the tax on the amount of such compensation, calculated at the rate of tax determined under clause (b).

(b) The total income of the assessee in respect of each of the three previous years immediately preceding the relevant previous year shall be increased by an amount equal to one-third of the amount of the compensation included in the total income of the relevant previous year, and the average rate of tax for each of the said three previous years shall be calculated as if the total income so increased were the total income of that previous year; and the average of the average rates of tax so calculated for the three previous years shall, for the purposes of clause (a), be the rate of tax determined under this clause.

(5)(a) In a case referred to in clause (d) of sub-rule (1), the tax payable by the assessee on his total income of the previous year in which the payment in commutation of pension is received (such previous year being hereafter in this sub-rule referred to as the relevant previous year) shall be reduced by the amount, if any, by which the tax on the payment in commutation of pension included in the total income of the relevant previous year, calculated at the average rate of tax applicable to such total income, exceeds the tax on the amount of such payment, calculated at the rate of tax determined under clause (b).

(b) The total income of the assessee in respect of each of the three previous years immediately preceding the relevant previous year shall be increased by an amount equal to one-third of the amount of payment in commutation of pension included in the total income of the relevant previous year, and the average rate of tax for each of the said three previous years shall be calculated as if the total income so increased were the total income of that previous year; and the average of the average rates of tax so calculated for the three previous years shall, for the purposes of clause (a), be the rate of tax determined under this clause.

(6) In a case referred to in clause (e) of sub-rule (1), the Board may, having regard to the circumstances of the case, allow such relief as it deems fit.

21B. *Relief when interest on securities is received in arrears.*—(a) Where by reason of any portion of an assessee's income from interest on securities being received in arrears his total income is assessed at a rate higher than that at which it would otherwise have been assessed, the tax payable by the assessee on his total income of the previous year in which the income from interest on securities is received in arrears (such income and such previous year being hereafter in this rule referred to respectively as the additional interest and the relevant previous year) shall be reduced by the amount, if any, by which the tax on the additional interest, calculated in the manner specified in clause (b), exceeds the tax or the aggregate tax on the additional interest, calculated in the manner specified in clause (c) or clause (d), as the case may be.

(b) Tax shall be calculated on the total income of the relevant previous year as reduced by the additional interest, as if the total income so reduced were the total income of the assessee, and the amount by which the tax so calculated falls short of the tax on the total income before such reduction shall, for the purposes of clause (a), be taken to be the tax on the additional interest under this clause.

(c) Where the additional interest relates to only one previous year, tax shall be calculated on the total income of the said previous year as increased by the additional interest, as if the total income so increased were the total income of the assessee, and the amount by which the tax so calculated exceeds the tax payable by the assessee in respect of the total income of the said previous year shall, for the purposes of clause (a), be taken to be the tax on the additional interest under this clause.

(d) Where the additional interest relates to more than one previous year,—

(i) the previous years to which the additional interest relates and the amount relating to each such previous year shall first be ascertained;

(ii) tax shall, then, be calculated on the total income of each such previous year as increased by the amount relating to such previous year ascertained under sub-clause (i), as if the total income so increased were the total income of that previous year, and

the amount by which the aggregate amount of tax in respect of the aforesaid previous years as calculated under sub-clause (ii) exceeds the aggregate amount of tax payable by the assessee in respect of the total income of the said previous years shall, for the purposes of clause (a), be taken to be the aggregate tax on the additional interest under this clause.".

6. In Appendix II to the principal rules,—

(i) after Form No. 3A, the following form shall be inserted, namely:—

"FORM No. 3B

[*See* rule 6AA]

Audit Report under section 35D(4)/35E(6) of the Income-tax Act, 1961

*I/We have examined the Balance Sheet(s) of M/s. .....

as at..... and the Profit and Loss Account(s) for the year(s) ended on* that/those date(s) which are in agreement with the books of account maintained at the head office at.....and* branches at.....

*I/We have obtained all the information and explanations which to the best of *my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In *my/our opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the above-named assessee visited by *me/us so far as appears from *my/our examination of the books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by *me/us, subject to the comments given below:—

In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the said accounts give a true and fair view—

(i) in the case of the Balance Sheet(s), of the state of the above named assessee's affairs as at .....; and

(ii) in the case of the Profit and Loss Account(s), of the profit or loss of his accounting year(s) ending on .....

The statement of particulars required for the purposes of the deduction under section *35D/35E is annexed and in *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, these are true and correct.

Place..... Signed

Date..... @ (Accountant)"

1. *Delete whichever is not applicable.

2. @This Report is to be given by—

(i) a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), or

(ii) any person who, in relation to any State, is, by virtue of the provisions of sub-section (2) of section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in that State.

3. Where any of the matters stated in this Report is answered in the negative or with a qualification, the Report shall state the reasons for the same.

Annexure to form No. 3B

SECTION A

Statement of particulars required for the purposes of deduction under section 35 D

1. Date of commencement of business .....

2. Where the deduction is claimed with reference to the expenditure incurred in connection with the extension of the industrial undertaking or the setting up of a new industrial unit, the date on which yhe extension was completed or the new industrial unit commenced production or operation .....

%3. Qualifying amount of expenditure :

*(a) Expenditure in connection witl —

(i) preparation of feasibility report Rs.....

(ii) preparation of project report Rs.....

(iii) conducting market survey or any other survey necessary for the business of the assessee Rs.....

(iv) engineering services relating to the business of the assessee Rs.....

(b) Leagal charges for drafting any agreement between the assessee and any other person for any purpose relating to the setting up or conduct of the business of the assessee Rs.....

Total Rs.....

@4. Cost of the project, i.e. actual cost of

(i) land and building (including expenditure on development) Rs.....

(ii) leaseholds Rs.....

(iii) plant and machinery Rs.....

(iv) furniture and fittings Rs.....

(v) railways sidings Rs.....

Total Rs.....

5. Deduction claimed under section 35D Rs.....

Place.. ..... Signed

Date..... . (Accountant)

% Where the qualifying expenditure was incurred during more than one year, yearwise details of the expenditure should be given.

* Expenditure under this head should be claimed only where the work in connection with the preparation of the feasibility report or project report or conducting market survey or any other survey or engineering services has been carried out by the assessee himself or by a concern which has been approved in this behalf by the Board.

@ In a case where the claim relates to preliminary expenses incurred before the commencement of business, the actual cost of the specified assets which are shown in the books of the assessee as on the last day of the previous year in which the business was commenced should be given In a case where the expenses were incurred in connection with the extension of the industrial undertaking or the setting up of a new industrial unit, the actual cost of the specified assets which are shown in the books of account as on the last day of the previous year in which the extension of the industrial undertaking was completed or the new industrial unit commenced production or operation (in so far as such assets have been acquired or developed in connection with the extension of the industrial undertaking or the setting up of the new industrial unit) should be given.

"SECTION B

Statement of particulars required for purposes of deduction under section 35E

1. Name (s) of mineral(s) or group(s) of associated minerals in respect of which operations relating to prospecting or development were undertaken .....

2. Year of commercial production .....

3. Qualifying amount of expenditure :

Year in which expenditure was incurred	Amount of expenditure (Give details)
1	
2.	
3.	
4.	
5.	

Place..... Signed

Date..... (Accountant)".

(ii) after Form No. 3B as so inserted, the following form shall be inserted, with effect from the 1st day of April, 1972, namely:—

"FORM No. 3C

[See rule 6AB]

Audit Report under section 80MM(2A)/80-O(2) of the Income-tax Act, 1961

*I/We have examined the Balance Sheet(s) of M/s. ..... as at ..... and the Profit and Loss Account(s) for the year(s) ended on *that/those date(s) which are in agreement with the books of account maintained at the head office at ..... and* branches at .....

*I/We have obtained all the information and explanations which to the best of *my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In *my/our opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the above-named assessee visited by *me/us so far as appears from *my/our examination of the books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by *me/us, subject to the comments given below :

In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the said accounts give a true and fair view—

(i) in the case of the Balance Sheet(s), of the state of the above named assessee's affairs as at .....; and

(ii) in the case of the Profit and Loss Account(s), of the profit or loss of his accounting year(s) ending on.....

The statement of particulars required for the purposes of the deduction under section *80MM/80-0 is annexed and in *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, these are true and correct.

Signed

@ (Accountant)

Place ————————

Date ————————

1. *Delete whichever is not applicable.

2. @ This Report is to be given by—

(i) a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(ii) any person who, in relation to any State, is, by virtue of the provisions of sub-section (2) of section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in that State.

3. Where any of the matters stated in this Report is answered in the negative or with a qualification, the Report shall state the reasons for the same.

Annexure to Form No. 3C

SECTION A

Statement of particulars required for purposes of deduction under section 80 MM

S. No.	Names and addresses of persons from whom income in respect of which deduction under section 80MM is claimed, was received	Nature of payment, e.g. royalty, commission, fees, etc.	Date of agreement with the person making the payment	Where agreement has already been approved by the Board, No. & date of the letter under which approval was communicated	Amount
1.					Rs.
2.					
3.					
4.					
5.					
			Total		.....

Signed

Place.....

(Accountant)

Date.....

*1 Where the agreement was approved by the Central Government brfore 1-4-1972, the name of the Ministry/Department granting the approval and the No. and date of the letter under which approval was communicated, should be indicated.

2. Where deduction in respect of any income is sought for the first time, a copy of the agreement with the person making the payment should be annexed.

SECTION B

Statement of particulars required for purposes of the deduction under section 80—O

Sl No.	Names and addresses of the foreign State/enterprise from whom income in respect of which deduction under section 80—O is claimed was received	Nature of payment, e.g. royalty, commission, fees, etc.	Date of agreement with the foreign State/ enterprise making the payment	Where agreement has already been approved, by the Board, No. & date of the letter under which approval was communicated *	Amount
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
etc.					

Total:.....

Signed

(Accountant)

Place.....

Date.....

*1 Where the agreement was approved by the Central Government before 1-4-1972, the name of the Ministry/Department granting the approval and the No. and date of the letter which approval was communicated should be indicated.

2. Where deduction in respect of any income is sought for the first time, a copy of the agreement with the foreign State/enterprise making the payment should be annexed." ;

(iii) after Form No. 6, the following Form shall be inserted with effect from the 1st day of April, 1972, namely:—

(*See rule* 14A)

"FORM No. 6A.

Application under section 143(2)(a) objecting to the assessment made under section 143(1).

GIR No..... Dated.....

To

The Income-tax Officer,

.....

.....

Sir,

Re: Assessment for assessment year 19.....19....in the case of.....
(Name of the assessee and Status.....)

The assessment of my total income/loss has been made by you under section 143(1) on.....(date)..... and the notice of demand issued in consequence of such assessment has been served on.....

(date of service of notice)

2. I do hereby object to the said assessment in respect of the under-mentioned adjustments made by you to the income/loss declared in the return. @

1. .....
2. .....
3. .....
.....

Yours faithfully,

(Signature)

Address: .....
.....
.....

Notes: *Here state whether individual, Hindu undivided family, firm, company, etc.

@Here state the nature and amount of each adjustment which is objected to. Add a separate sheet of paper, if necessary.";

(iv) for Form No. 7, the following Form shall be substituted with effect from 1st day of April, 1972, namely:—

"FORM No. 7

[*See* rule 15]

Notice of Demand under Section 156 of the Income-Tax Act, 1961

To

.....
.....
.....

Status
G. I. R. No.

This is to give you notice that for the assessment year.....a sum of Rs. ... .details of which are given on the reverse has been determined to be payable by you.

2. The amount should be paid to the Treasury Officer/Sub-Treasury Officer/ Agent, State Bank of India/Reserve Bank of India at.....within 35/..... days of the service of this notice. The previous approval of the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax has been obtained for allowing a period of less than 35 days for the payment of the above sum. A challan is enclosed for the purpose of payment.

3. If you do not pay the amount within the period specified above, you will be liable to pay simple interest at nine per cent. per annum from the date commencing after the end of the period aforesaid in accordance with section 220(2).

4. If you do not pay the amount of the tax within the period specified above, penalty (which may be as much as the amount of tax in arrear) may be imposed upon you after giving you a reasonable opportunity of being heard in accordance with section 221.

5. If you do not pay the amount within the period specified above, proceedings for the recovery thereof will be taken in accordance with sections 222 to 229, 231 and 232 of the Income-tax Act, 1961.

6. The assessment has been completed under section 143(1) of the Income-tax Act, 1961. In case you object to the assessment, you may apply to me in Form No. 6A objecting to the assessment, within one month from the date of service of this notice of demand.

7. The assessment has been made under section 144 of the Income-tax Act, 1961, because you failed to make the return of income under section 139(2) and did not make a return or a revised return under section 139(4) or section 139(5)/ comply with a notice issued under section 142(1)/comply with a notice issued under section 143(2). However, if you were prevented by sufficient cause from making the return under section 139(2) or did not receive the notice issued under section 142(1) or section 143(2) or did not have a reasonable opportunity to comply, or were prevented by sufficient cause from complying, with the terms of a notice issued under section 142(1) or section 143(2), you may apply to me, within one month from the date of service of this notice under section 146, to cancel the assessment and proceed to make a fresh assessment.

8. If you intend to appeal against the assessment fine/penalty/interest payable under section 216, you may present an appeal under Part A of Chapter XX of the Income-tax Act 1961 to the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax... ..... within thirty days of the receipt of this notice, in Form No. 35, duly stamped and verified as laid down in that form.

9. The amount has become due as a result of the order of the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax/Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax/Commissioner of Income-tax.... ....under section.....of the Income-tax Act, 1961. If you intend to appeal against the aforesaid order, you may present an appeal under Part B of Chapter XX of the said Act to the Income-tax Appellate Tribunal ..... within sixty days of the receipt of that order, in Form No. 36, duly stamped and verified as laid down in that form.

Dated.....
Place.....

Income-tax Officer,
Address

NOTES.—(1) Delete inappropriate paragraphs and words.

(2) If you wish to pay the amount by cheque, the cheque should be drawn in favour of the Treasury Officer/Sub-Treasury Officer/Agent, State Bank of India/ Reserve Bank of India.

(3) If you intend to seek extension of time for payment of the amount or propose to make the payment by instalments, the application for such extension or, as the case may be, permission to pay by instalments, should be made to the Income-tax Officer before the expiry of the period specified in paragraph 2. Any request received after the expiry of the said period will not be entertained in view of the specific provisions of section 220(3).";

(v) in Form No. 21,—

(a) column 2 shall be omitted and columns 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 shall be renumbered as columns 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 thereof respectively;

(b) after column 9 as renumbered, a new column 10 shall be inserted with the heading "Date on which tax was deducted";

(vi) in Form No. 36—

(a) for item 12, the following items shall be substituted, namely:—

'12. Date on which the return of income, if any, for the assessment year referred to in item 3 was filed.

13. Date on which the assessee was served with a notice, if any, calling upon him to file the return for the assessment year referred to in item 3.

14 Relief claimed in appeal.

(b) in Note No. 2, for the words "one hundred rupees", the words and figures "one hundred rupees in a case where either of the dates shown against items 12 and 13 falls before 1st April, 1971, and one hundred and twenty-five rupees in any other case" shall be substituted;

(vii) in Form No. 37,—

(a) for paragraph 6, the following paragraphs shall be substituted, namely:—

"6. that the date on which the return of income, for the assessment year in connection with which the reference application is being made, was filed is ....and the date on which the assessee was served with a notice calling upon him to the file the return of income for that that assessment year is.....

7 that the documents or copies thereof as specified below (the translation in English of the documents, where necessary, is annexed) be forwarded to the High Court with the statement of the case.";

(b) in the Note, for the words "one hundred rupees", the words and figures "one hundred rupees in a case where either of the dates mentioned in paragraph 6 falls before 1st April, 1971, and one hundred and twenty-five rupees in any other case" shall be substituted.

[No. 52/F.No. 142(29)/71-TPL.]

Explanatory Memorandum

The Taxation Laws (Amendment) Act, 1970 has amended several provisions of the Income-tax Act with effect from 1st April, 1971. Some of these amendments necessitate changes in the Income-tax Rules, 1962 made by the Central Board of Direct Taxes. Accordingly, this notification seeks to amend certain rules in the Income-tax Rules 1962, with effect from the 1st April, 1971 as under:—

(i) The Taxation Laws (Amendment) Act, 1970 inserted a new section 35D in the Income-tax Act for amortisation of expenditure incurred by an assessee before the commencement of business or in connection with the extension of his industrial undertaking or the setting up of a new industrial unit. That Act also introduced another provision in section 35E of the Income-tax Act for amortisation of the expenditure incurred by an assessee on prospecting for certain minerals as also in developing a mine or other natural deposit of any such mineral. Both these provisions apply to Indian companies and resident taxpayers other than companies. However, in the case of a taxpayer other than a company or a co-operative society the admissibility of amortisation is conditional on the accounts of the

assessee for the relevant years being audited by a Chartered Accountant or other accountant who is qualified to audit the accounts of companies. The relevant provisions also require an assessee to furnish along with his return of income for the first year in which amortisation is claimed the report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by the accountant and setting forth such particulars as may be prescribed. A new rule 6AA and form No. 3B are proposed to be included in the Income-tax Rules, 1962 to prescribe the form of audit report and also to prescribe the particulars which have to be furnished in such report for the purpose of deduction under sections 35D and 35E of the Income-tax Act.

(ii) Section 89 of the Income-tax Act prior to its amendment by the Taxation Laws (Amendment) Act, 1970 provided that where by reason of any portion of an assessee's salary being paid in arrears or in advance, or by reason of his having received in any one financial year salary for more than 12 months or a payment which is a "profit in lieu of salary", his income is assessed at a rate higher than that at which it would otherwise have been assessed, the assessee shall be entitled to relief. Similarly that section also provided that where by reason of any portion of the assessee's income from interest on securities being received in arrears, his total income is assessed at a rate higher than that at which it would otherwise have been assessed, he shall be entitled to relief. Prior to the amendment, the relief aforesaid to be given under this section was left to the discretion of the Commissioner and the Board had issued certain instructions for the guidance of the Commissioners in this regard. By the amendment made by the Taxation Laws (Amendment) Act, 1970, the relief under this section is to be allowed by the Income-tax Officer in accordance with the rules. New rules 21A and 21B have, therefore, been inserted in the Income-tax Rules, 1962 setting forth the relief to be allowed in such cases.

As the reliefs to be given under the above provisions will be relatable to and from the assessment year 1971-72, the interests of no one will be prejudicially affected by reason of the retrospective effect being given to these amendments.

R. R. KHOSLA, Secy

Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, मार्च 6, 1972

का० आ० 175(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आयकर (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम अप्रैल, 1971 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 6कक के नियम 6कग के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित नियम 6कग से पहले, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"6कक—धारा 35 घ और 35ङ के अधीन कटौतियों का दावा करने के लिए परीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप :—किसी कम्पनी या किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न, किसी

निर्धारिती के लेखाओं की संपरीक्षा की रिपोर्ट, जिसके देने की अपेक्षा धारा 35 घ की उपधारा (4) या धारा 35ङ की उपधारा (6) के अधीन की गयी है, प्ररूप संख्या 3-ख में होगी ।"

3. इस प्रकार अन्तःस्थापित मूल नियमों के नियमों 6कक के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अप्रैल 1972 के प्रथम दिन से, अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"6—कख—धारा 80—ङङ और 80 ण के अधीन कटौतियों का दावा करने के लिए संपरीक्षा रिपोर्ट का प्ररूप :—किसी कम्पनी या किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न, किसी निर्धारिती के लेखाओं की संपरीक्षा की रिपोर्ट, जिसके देने की अपेक्षा धारा 80ङङ की उपधारा (2क) या धारा 80-ण की उपधारा (2) के अधीन की गयी है, प्ररूप सं० 3-ग में होगी ।"

4. मूल नियमों के नियम 14 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम, अप्रैल, 1972 के प्रथम दिन से, अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"14क—धारा 143(1) के अधीन किए गए किसी निर्धारण के बारे में आक्षेप करने के लिए आवेदन का प्ररूप :—धारा 143 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन किसी निर्धारिती द्वारा किया जाने वाला आवेदन, उस दशा में जहां वह उस धारा की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी निर्धारण के बारे में आक्षेप करे, प्ररूप सं० 6—क में होगा ।"

5. मूल नियमों के भाग 4 में,—

(क) "कर से छूट" शीर्षक के स्थान पर, "कर से छूट और राहत" शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) नियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"21क—उस दशा में राहत, जिसमें वेतन, आदि का संदाय बकाया के रूप में या अग्रिम किया जाता है :—(1) जहां, इस कारण से, कि किसी निर्धारिती के वेतन का कोई भाग बकाया के रूप में या अग्रिम दिया जाता है या इस कारण से, कि उसने किसी एक वित्तीय वर्ष में 12 मास से अधिक के लिए वेतन या ऐसा संदाय प्राप्त किया है जो धारा 17 के खण्ड (3) के उपबन्धों के अधीन वेतन के बदले में लाभ है, उसकी आय उस दर से उच्चतर दर पर निर्धारित की जाती है जिससे वह अन्यथा निर्धारित की जाती, वहां धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली राहत,—

(क) जहां निर्धारिती के वेतन का कोई भाग बकाया के रूप में या अग्रिम प्राप्त हुआ हो, उप-नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार दी जाएगी ;

(ख) जहां संदाय निर्धारिती की पांच वर्ष से अन्यून अवधि की गत सेवाओं की बाबत उपदान के रूप में हो, उप नियम (3) के उपबन्धों के अनुसार दी जाएगी ;

(ग) जहां निर्धारिती ने संदाय तीन वर्ष से अन्यून की निरन्तर सेवा के पश्चात् अपने नियोजन के पर्यवसान पर या उसके संबंध में अपने नियोजक या भूतपूर्व नियोजक से प्रतिकर के रूप में प्राप्त किया हो और जहां उसके नियोजन की अवधि का अनवसित भाग भी तीन वर्ष से कम न हो, उप नियम (4) के उपबन्धों के अनुसार दी जाएगी;

(घ) जहां संदाय पेंशन के संराशीकरण के रूप में हो, उपनियम (5) के उपबन्धों के अनुसार दी जाएगी ; और

(ङ) जहां संदाय बकाया के रूप में या अग्रिम संदत्त वेतन या गत सेवाओं की बाबत उपदान या नियोजन के पर्यवसान पर या उसके संबंध में प्रतिकर या पेंशन के संराशीकरण के रूप में न हो, उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार दी जाएगी ।

(2) (क) उपनियम (1) के खण्ड (क) मे निर्दिष्ट किसी मामले में, उस पूर्व वर्ष की अपनी कुल आय पर, जिसमें वेतन बकाया के रूप में या अग्रिम प्राप्त हुआ हो (ऐसे वेतन और ऐसे पूर्व वर्ष को इस उपनियम में इसके पश्चात् क्रमशः अतिरिक्त वेतन और सुसंगत पूर्व वर्ष कहा गया है), निर्धारिती द्वारा संदेय कर में से वह रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी, जिसके कि खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट रीति से परिकलित अतिरिक्त वेतन पर कर, अतिरिक्त वेतन पर ऐसे कर या संकलित कर से अधिक है जो, यथास्थिति, खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट रीति से परिकलित किया गया है ।

(ख) सुसंगत पूर्व वर्ष की कुल आय पर, जैसी कि वह अतिरिक्त वेतन को घटाकर आए, कर इस प्रकार परिकलित किया जाएगा, मानो इस प्रकार घटाकर आई कुल आय निर्धारिती की कुल आय हो और वह रकम, जिससे कि इस प्रकार परिकलित कर, ऐसे घटाए जाने से पूर्व कुल आय पर कर से कम पड़ती है, खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, इस खण्ड के अधीन अतिरिक्त वेतन पर कर समझी जाएगी ।

(ग) जहां अतिरिक्त वेतन एक ही पूर्व वर्ष से सम्बद्ध हो, वहां उक्त पूर्व वर्ष की कुल आय पर, जैसी कि वह अतिरिक्त वेतन से बढ़ाकर आए, कर इस प्रकार परिकलित किया जाएगा, मानो इस प्रकार बढ़ाकर आई कुल आय निर्धारिती की कुल आय हो, और वह रकम, जिससे कि इस प्रकार परिकलित कर, उक्त पूर्व वर्ष की कुल आय पर निर्धारिती द्वारा संदेय कर से अधिक हो जाती है, खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, इस खण्ड के अधीन अतिरिक्त वेतन पर कर समझी जाएगी ।

(घ) जहां अतिरिक्त वेतन एक से अधिक पूर्व वर्ष से सम्बद्ध हो, वहां,—

(i) सर्वप्रथम ऐसे पूर्व वर्ष जिनसे अतिरिक्त वेतन सम्बद्ध हो और प्रत्येक ऐसे पूर्व वर्ष से सम्बद्ध रकम अभिनिश्चित की जाएंगी ।

(ii) उसके पश्चात्, प्रत्येक ऐसे पूर्व वर्ष की कुल आय पर, जैसी कि वह उपखण्ड (i) के अधीन अभिनिश्चित ऐसे पूर्व वर्ष से सम्बद्ध रकम से बढ़ाकर आए, कर इस प्रकार परिकलित किया जाएगा, मानो इस प्रकार बढ़ाकर आई कुल आय उस पूर्व वर्ष की कुल आय हो, और

वह रकम, जिससे कि पूर्वोक्त पूर्व वर्षों से संबंधित ऐसे कर की संकलित रकम, जो उपखण्ड (ii) के अधीन परिकलित किया गया है उक्त पूर्व वर्षों की कुल आय पर निर्धारिती द्वारा संदेय कर की संकलित रकम से अधिक हो जाती है, खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, इस खण्ड के अधीन अतिरिक्त वेतन पर संकलित कर समझी जाएगी ।

(3) (क) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी मामले में, उस पूर्व वर्ष की अपनी कुल आय पर, जिसमें संदाय उपदान के रूप में प्राप्त हुआ हो (ऐसे पूर्व वर्ष को इस उपनियम में इसके पश्चात् सुसंगत पूर्व वर्ष कहा गया है), निर्धारिती द्वारा संदेय कर में से वह रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी, जिससे कि सुसंगत पूर्व वर्ष की कुल आय के अन्तर्गत, ऐसी कुल आय पर लागू कर की औसत दर से परिकलित, उपदान की रकम पर कर, ऐसे उपदान की रकम पर ऐसे कर से अधिक है, जो यथा-स्थिति, खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन अवधारित कर की दर से परिकलित किया गया है ।

(ख) जहां उपदान के रूप में संदाय, निर्धारिती की पांच वर्ष से अन्यून किन्तु पन्द्रह वर्ष से कम अवधि की गत सेवाओं की बाबत किया गया हो,—

(i) वहां सुसंगत पूर्व वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती दो पूर्व वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की निर्धारिती की कुल आय, सुसंगत पूर्व वर्ष की कुल आय के अन्तर्गत उपदान की रकम की आधी रकम के बराबर रकम से बढ़ा दी जाएगी और उक्त दो पूर्व वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए कर की औसत दर इस प्रकार परिकलित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाकर आई कुल आय उस पूर्व वर्ष की कुल आय हो ; और

(ii) सुसंगत पूर्व वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती दो पूर्व वर्षों के लिये, उपखंड (i) के अनुसार परिकलित कर की औसत दरों का औसत खंड (क) के प्रयोजनों के लिये, इस खंड के अधीन अवधारित कर की दर होगा ।

(ग) जहां उपदान के रूप में संदाय, निर्धारिती की पन्द्रह वर्ष से अन्यून अवधि की गत सेवाओं की बाबत किया गया हो –

(i) वहां सुसंगत पूर्व वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की निर्धारिती की कुल आय, सुसंगत पूर्व वर्ष की कुल आय के अन्तर्गत उपदान की रकम की एक तिहाई रकम के बराबर रकम से बढ़ा दी जाएगी, और उक्त तीन पूर्व वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिये कर की औसत दर इस प्रकार परिकलित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाकर आई कुल आय उस पूर्व वर्ष की कुल आय हो; और

(ii) सुसंगत पूर्व वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों के लिये उपखण्ड (i) के अनुसार परिकलित कर की औसत दर का औसत, खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए इस खण्ड के अधीन अवधारित कर की दर होगा ।

(4) (क) उपनियम (1) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी मामले में, उस पूर्व वर्ष की अपनी कुल आय पर, जिसमें संदाय प्रतिकर के रूप में प्राप्त हुआ हो (ऐसे पूर्व वर्ष को इस उपनियम में इसके पश्चात् सुसंगत पूर्व वर्ष कहा गया है), निर्धारिती द्वारा संदेय कर में से वह रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी, जिससे कि सुसंगत पूर्व वर्ष की कुल आय के अन्तर्गत, ऐसी कुल आय पर लागू कर की औसत दर से परिकलित प्रतिकर की रकम पर कर, ऐसे प्रतिकर की रकम पर ऐसे कर से अधिक है जो खण्ड (ख) के अधीन अवधारित कर की दर से परिकलित किया गया है ।

(ख) सुसंगत पूर्व वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की निर्धारिती की कुल आय सुसंगत पूर्व वर्ष की कुल आय के अन्तर्गत प्रतिकर की रकम की एक तिहाई रकम के बराबर रकम से बढ़ा दी जाएगी, और उक्त तीन पूर्व वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए कर की औसत दर इस प्रकार परिकलित की जाएगी, मानों इस प्रकार बढ़ा कर आई कुल आय उस पूर्व वर्ष की कुल आय हो; और तीन पूर्व वर्षों के लिए इस प्रकार परिकलित कर की औसत दरों का औसत, खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए इस खण्ड के अधीन अवधारित कर की दर होगा ।

(5) (क) उपनियम (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी मामले में, उस पूर्व वर्ष की अपनी कुल आय पर, जिसमें संदाय पेंशन के संराशीकरण के रूप में प्राप्त हुआ हो (ऐसे पूर्व वर्ष को इस उपनियम में इसके पश्चात् सुसंगत पूर्व वर्ष कहा गया है) निर्धारिती द्वारा संदेय कर में से वह रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी, जिससे कि सुसंगत पूर्व वर्ष की कुल आय के अन्तर्गत ऐसी कुल आय पर लागू कर की औसत दर से परिकलित, पेंशन के संराशीकरण के रूप में संदाय पर कर, ऐसे संदाय की

रकम पर ऐसे कर से अधिक है जो खण्ड) (ख) के अधीन अवधारित कर की दर से परिकलित किया गया है ।

(ख) सुसंगत पूर्व वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्व वर्षों में से प्रत्येक वर्ष को निर्धारिती की कुल आय सुसंगत पूर्व वर्ष की कुल आय के अन्तर्गत, पेंशन के संराशीकरण के रूप में संदाय की रकम की एक तिहाई रकम के बराबर रकम से बढ़ा दी जाएगी, और उक्त तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए कर की औसत दर इस प्रकार परिकलित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाकर आई कुल आय उस पूर्व वर्ष की कुल आय हो, और तीन पूर्व वर्षों के लिये इस प्रकार परिकलित करकी औसत दरों का औसत, खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, इस खण्ड के अधीन अवधारित कर की दर होगा ।

(6) उपनियम (1) के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट किसी मामले में, बोर्ड, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी राहत अनुज्ञात कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे ।

21 क—उस दशा में राहत जिसमें प्रतिभूतियों पर ब्याज बकाया के रूप में प्राप्त होता है :—(क) जहां इस कारण से कि किसी निर्धारिती की प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय का कोई भाग बकाया के रूप में प्राप्त होता है उसकी कुल आय ऐसी दर से उच्चतर दर पर निर्धारित की जाती है जिससे वह अन्यथा निर्धारित की जाती, वहां उस पूर्व वर्ष की उसकी कुल आय पर, जिसमें प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय बकाया के रूप में प्राप्त होती है (ऐसी आय और ऐसे पूर्व वर्ष को इस नियम में इसके पश्चात् क्रमशः अतिरिक्त ब्याज और सुसंगत पूर्व वर्ष कहा गया है), निर्धारिती द्वारा संदेय कर में से वह रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी, जिससे कि खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट रीति से परिकलित अतिरिक्त ब्याज पर कर, अतिरिक्त ब्याज पर ऐसे कर या संकलित कर से अधिक है जो, यथास्थिति खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट रीति से परिकलित किया गया है ।

(ख) सुसंगत पूर्व वर्ष की कुल आय पर, जैसी कि वह अतिरिक्त ब्याज को घटाकर आए, कर इस प्रकार परिकलित किया जाएगा, मानो इस प्रकार घटाकर आई कुल आय निर्धारिती की कुल आय हो, और वह रकम, जिससे कि इस प्रकार परिकलित कर, ऐसे घटाए जाने से पूर्व कुल आय पर कर से कम पड़ती है, खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, इस खण्ड के अधीन अतिरिक्त ब्याज पर कर समझी जाएगी ।

(ग) जहां अतिरिक्त ब्याज एक ही पूर्व वर्ष से सम्बद्ध हो, वहां उक्त पूर्व वर्ष की कुल आय पर, जैसी कि वह अतिरिक्त ब्याज से बढ़ाकर आए, कर इस प्रकार परिकलित किया जाएगा, मानों इस प्रकार बढ़ाकर आई कुल आय निर्धारिती की कुल आय हो, और वह रकम, जिससे कि इस प्रकार परिकलित कर, उक्त पूर्व वर्ष की कुल आय पर निर्धारिती द्वारा संदेय कर से अधिक हो जाती है, खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, इस खण्ड के अधीन अतिरिक्त ब्याज पर कर समझी जाएगी ।

(घ) जहां अतिरिक्त ब्याज एक से अधिक पूर्व वर्ष से सम्बद्ध हो, वहां,—

(i) सर्वप्रथम, ऐसे पूर्व वर्ष जिनसे अतिरिक्त ब्याज सम्बद्ध हो और प्रत्येक ऐसे पूर्व वर्ष से सम्बद्ध रकम अभिनिश्चित की जाएगी ;

(ii) उसके पश्चात्, प्रत्येक ऐसे पूर्व वर्ष की कुल आय पर, जैसी कि वह उपखण्ड (ii) के अधीन अभिनिश्चित ऐसे पूर्व वर्ष से सम्बद्ध रकम से बढ़ाकर आए, कर इस प्रकार परिकलित किया जाएगा, मानों इस प्रकार बढ़ाकर आई कुल आय उस पूर्व वर्ष की कुल आय हो; और

वह रकम, जिससे कि पूर्वोक्त पूर्व वर्षों से संबंधित ऐसे कर की संकलित रकम, जो उपखंड (ii) के अधीन परिकलित किया गया है, उक्त पूर्व वर्ष की कुल आय पर निर्धारिती द्वारा संदेय कर

की संकलित रकम से अधिक हो जाती है, खंड (क) के प्रयोजनों के लिये इस खंड के अधीन अतिरिक्त ब्याज पर संकलित कर समझी जाएगी ।]

6. मूल नियम के परिशिष्ट 2 में, –

(i) प्ररूप सं० 3 क के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

*प्ररूप सं० 3 ख

(नियम 6-कक देखिए)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35–घ(4)

35-ङ० (6) क अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

†मैंने/हमने ————————स्थित मैसर्स————————के तुलन–पत्र (पत्रों) और उस तारीख/उन तारीखों को समाप्त होने वाले वर्ष (वर्षों) के लाभ हानि खाते (खातों) की परीक्षा कर ली है जो————————स्थित प्रधान कार्यालय और ————————स्थित शाखाओं में रखी गई लेखा–पुस्तकों के अनुरूप है ।

†मैंने/हमने सभी ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो मेरी/हमारी †सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिये आवश्यक थे । मेरी/हमारी †राय में उपरिनामित निर्धारिती के उस प्रधान कार्यालय और शाखाओं द्वारा उचित लेखा–पुस्तकें रखी गई है जिनका हमने दौरा किया, जैसा कि मेरे/हमारे द्वारा की गई पुस्तकों की परीक्षा से प्रतीत होता है और उचित विवरणियां, जो संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त हैं उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका मैंने/हमने दौरा किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणी के अधीन हैं:—

मेरी/हमारी† राय में और मेरी/हमारी† सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे/हमको दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त खाते –

(I) तुलन–पत्र (पत्रों) की दशा में,————स्थित उपरिनामित निर्धारिती के कामकाज की स्थिति का; और

(II) लाभ–हानि खाते (खातों) की दशा में,————को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष (वर्षों) के लाभ या हानि का,

सच्चा और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं ।]

धारा 35-घ/35-ङ०† के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण उपाबद्ध है, और मेरी/हमारी† राय में और मेरी/हमारी† सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे/हमें† दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार यह सच्चा और ठीक है ।

स्थान..... हस्ताक्षरित

तारीख..... †† (लेखापाल)

---

1. †जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

2. ††यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है :—

(i) चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत चार्टर्ड एकाउन्टेंट ; या

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति, द्वारा जो, किसी राज्य के सम्बन्ध में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबन्धों के आधार पर उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनीयों के किसी संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने के लिए हकदार है।

3. जहां इस रिपोर्ट में वर्णित मामलों में से किसी मामले का उत्तर नकारात्मक या सशर्त दिया गया हो, वहां रिपोर्ट में उसके कारण व्यक्त किए जाएं।

प्ररूप सं० 3 ख का उपबन्ध

खंड क

धारा 35-घ के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण

---

1. कारबार प्रारम्भ करने की तारीख .....

2. जहां औद्योगिक उपक्रम के विस्तारण या नयी औद्योगिक यूनिट की स्थापना के सम्बन्ध में किए गए व्यय के प्रति निर्देश से कटौती का दावा किया गया है, वहां वह तारीख, जिस को विस्तारण पूरा हुआ था या नयी औद्योगिक यूनिट ने उत्पादन या संक्रिया प्रारम्भ की थी ———.——.———.

3. व्यय की अर्हक रकम :

† (क) निम्नलिखित के सम्बन्ध में व्यय

रु०

(i) साध्यता रिपोर्ट तयार करना ———.——.—.

(ii) परियोजना रिपोर्ट तैयार करना ———.——.——

(iii) निर्धारिती के कारबार के लिए आवश्यक बाजार सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण का संचालन करना ———.——.——

(iv) निर्धारिती के कारबार से सम्बद्ध इंजीनियरी सेवाएं ———.——.——.

(ख) निर्धारिती के कारबार की स्थापना या उसके संचालन से सम्बंधित किसी प्रयोजन के लिए निर्धारिती और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी करार के प्रारूपण के लिए विधिक प्रभार ———.——.——

योग ———.——.——.

---

*जहां अर्हक व्यय एक से अधिक वर्षों के दौरान किया गया हो वहां व्यय का ब्यौरा वर्ष-वार दिया जाए।

†इस शीर्षक के अन्तर्गत व्यय का दावा तभी किया जाना चाहिए जब साध्यता रिपोर्ट या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने या बाजार सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण का संचालन करने या इंजीनियरी सेवाओं से सम्बन्धित कार्य स्वयं निर्धारिती या किसी ऐसे समुत्थान द्वारा जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित हो, किया गया था।

†† 4. परियोजना की लागत, अर्थात् निम्नलिखित वास्तविक लागत—

(i) भूमि और भवन (जिसके अन्तर्गत विकास व्यय भी है) .....

(ii) पट्टाधृति .....

(iii) संयंत्र और मशीनरी .....

(iv) फर्नीचर और फिटिंग .....

(v) रेल की साइडिंग .....

योग : .....

5. कटौती जिसका धारा 35-ब के अधीन दावा किया गया। .....

स्थान.....
तारीख.....

हस्ताक्षरित
(लेखापाल)

†† ऐसे किसी मामले में जहां दावा, कारबार प्रारम्भ होने से पूर्व किए गए प्रारम्भिक खर्चों से सम्बद्ध हो, वहां ऐसी विनिर्दिष्ट आस्तियों की, जो उस पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को जिसमें कारबार प्रारम्भ किया गया था, निर्धारिती की पुस्तकों में दिखायी गई हो, वास्तविक लागत दी जानी चाहिए। ऐसे किसी मामले में जहां खर्च, औद्योगिक उपक्रमों के विस्तारन या किसी नई औद्योगिक यूनिट की स्थापना के सम्बन्ध में किए गए हों, वहां ऐसी विनिर्दिष्ट आस्तियों की, जो उस पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को लेखा-पुस्तकों में दिखायी गई हों, जिसमें औद्योगिक उपक्रम का विस्तारण पूरा हुआ था या नई औद्योगिक यूनिट ने उत्पादन या संक्रिया प्रारम्भ की थी (जहां तक कि ऐसी आस्तियों औद्योगिक उपक्रम के विस्तारित या नई औद्योगिक यूनिट की स्थापना के सम्बन्ध में अर्जित या विकसित की गई हों), वास्तविक लागत दी जानी चाहिए।

खंड ख

धारा 35-ङ० के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण

1. ऐसे खनिज या सहचारी खनिज के गुणों के नाम जिनके सम्बन्ध में पूर्वेक्षण या विकास सम्बन्धी संक्रियाएं हाथ में ली गई थीं .....

2. वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष .....

3. व्यय की अर्हक रकम :

वह वर्ष जिसमें व्यय किया गया था	व्यय की रकम (ब्यौरा दीजिए)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

हस्ताक्षरित
(लेखापाल)

स्थान.....
तारीख.....

(ii) इस प्रकार अन्तःस्थापित प्ररूप सं० 3ख के पश्चात्, अप्रेल, 1972 के प्रथम दिन से, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"प्ररूप सं० 3ग

(नियम 6क ख देखिये)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 डड (2क)/80-ण (2) के अधीन सपरीक्षा रिपोर्ट

†मैंने/ मने . . .स्थित मै र्स . . . . के तुलन-पत्र (पत्रों) और उस तारीख/ उन †तारीखों को समाप्त होने वाले वर्ष (वर्षों) के लाभ-हानि खाते (खातों) की परीक्षा कर ली है, जो . . . . . स्थित प्रधान कार्यालय और . . . . . स्थित शाखाओं में रखी गई लेखा-पुस्तकों के अनुरूप हैं ।

†मैंने/हमने सभी ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे । मेरी/हमारी †राय में उपरिनामित निर्धारिती के उस प्रधान कार्यालय और शाखाओं द्वारा उचित लेखा-पुस्तकें रखी गई हैं, जिनका हमने दौरा किया, जैसा कि मेरे/हमारे †द्वारा की गई पुस्तकों की परीक्षा से प्रतीत होता है और उचित विवरणियां, जो संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त हैं उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनका मैंने/हमने †दौरा नहीं किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणी के अधीन हैं ।

मेरी/हमारी †राय में और मेरी/हमारी †सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे/हमको †दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त खाते —

(i) तुलन-पत्र (पत्रों) की दशा में, ... स्थित/उपरिनामित निर्धारिती के कामकाज की स्थिति का ; और

(ii) लाभ-हानि खाते (खातों) की दशा में, ... को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष (वर्षों) के लाभ या हानि का,

सच्चा और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं ।

धारा 80) डड/80ण के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण उपाबद्ध है, और मेरी/हमारी † राय में और/हमारी † सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे/हमें † दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार यह सच्चा और ठीक है ।

हस्ताक्षरित

स्थान . . . . . .

तारीख . . . . . @ (लेखापाल)

---

1. †जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

2. @यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है —

(i) चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत चार्टर्ड एकाउन्टेंट ; या

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो, किसी राज्य के सम्बन्ध में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबन्धों के आधार पर उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के किसी संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने के लिए हकदार है ।

3. जहां इस रिपोर्ट में वर्णित मामलों में से किसी मामले का उत्तर नकारात्मक या सशर्त दिया गया हो, वहां रिपोर्ट में उसके कारण व्यक्त किए जाएं ।

प्ररुप सं० 3-ग का उपाबन्ध

खंड क

धारा 80ण- के अधीन कटौती के प्रयोजनो

के लिए अपेक्षित विशिष्टयों का विवरण

क्रम सं०	उन व्यक्तियो के नाम और पते जिनसे ऐसी आय प्राप्त हुई थी जिसके संबंध मे धारा 80-ग के अधीन कटौती का दावा किया गया है	संदाय की प्रकृति अर्थात् स्वामित्व, कमीशन, फीस, आदि	संदाय करने वाले व्यक्ति के साथ करार की तारीख	जहां करार का बोर्ड द्वारा पहले ही अनुमोदन कर दिया गया है, वहां उस पत्र की सं० और तारीख जिसके अधीन अनुमोदन संसूचित किया गया था	रकम
1.					रु०
2.					
3.					
4.					
5.					
आदि					

योग

हस्ताक्षरित

(लेखापाल)

स्थान———

तारीख———

1. जहां करार का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा 1-4-1972 से पहले किया गया हो, वहां अनुमोदन प्रदान करने वाले मंत्रालय/विभाग का नाम और उस पत्र की सं० और तारीख जिसके अधीन अनुमोदन संसूचित किया गया था, उपदर्शित किये जाने चाहिएं।

2. जहां किसी आय के सम्बन्ध मे कटौती प्रथम बार मागी गई हो, वहां संदाय करने वाले व्यक्ति के साथ करार की एक प्रति उपाबद्ध की जानी चाहिए।

खंड-ख

धारा 80—ण के अधीन कटौती के प्रयोजनों

के लिए अपेक्षित विशिष्टियों का विवरण

क्रम सं०	उस विदेशी राज्य / उद्यम के नाम और पते जिससे ऐसी आय प्राप्त हुई थी जिसके संबंध में धारा 80—ण के अधीन कटौती का दावा किया गया है	संदाय की प्रकृति, अर्थात् स्वामित्व, कमीशन, फीस, आदि	संदाय करने वाले विदेशी राज्य/ उद्यम के साथ करार की तारीख	जहां करार का बोर्ड द्वारा पहले ही अनुमोदन कर दिया गया है, वहां उस पत्र की सं० और तारीख जिसके अधीन अनुमोदन संसूचित किया गया था	रकम
1					रु०
2.					
3.					
4.					
5					
आदि ।					

नोट :

हस्ताक्षरित

स्थान————— (लेखापाल)

तारीख—————

1. जहां करार का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार द्वारा 1—4—1972 से पहले किया गया हो, अनुमोदन प्रदान करने वाले मंत्रालय/विभाग का नाम और उस पत्र की सं० और तारीख जिसके अधीन अनुमोदन किया गया था, उपदर्शित किए जाने चाहिएं ।

2. जहां किसी आय के सम्बन्ध में कटौती प्रथम बार मांगी गई हो, वहां संदाय करने वाले विदेशी राज्य/उद्यम के साथ करार की एक प्रति उपाबद्ध की जानी चाहिए ।" ;

(iii) प्ररूप सं० 6 से पश्चात, अप्रैल, 1972 के प्रथम दिन से निम्नलिखित प्ररूप अन्तः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं० 6 क

(नियम 14 क देखिए)

धारा 143 (1) के अधीन किए गए निर्धारण के बारे में आक्षेप करने के लिए धारा 143 (2) (क) के अधीन आवेदन

जी० आई०आर० सं०———— तारीख————

सेवा में,

आय-कर अधिकारी

————

————

महोदय,

निर्देश:—————————————————की दशा में निर्धारण

(निर्धारिती का नाम और प्रास्थिति†)

वर्ष 19—19—के लिए निर्धारण ।

———

मेरी कुल आय/हानि का निर्धारण आपके द्वारा धारा 143 (1) के अधीन———— (तारीख) को किया गया और ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप जारी की गई मांग की सूचना———— ————(सूचना की तामील की तारीख) को तामील हुई ।

2. मैं विवरणी में घोषित आय/हानि में आपके द्वारा किए गए निम्नलिखित समायोजनों के सम्बन्ध में उक्त निर्धारण के बारे में एतद्द्वारा आक्षेप करता हूं ।@

1. ————

2. ————

3. ————

4. ————

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

नाम : ————

————

————

टिप्पण—†यहां व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म, कंपनी आदि लिखें

@यहां प्रत्येक समायोजन की प्रकृति और रकम लिखें जिसके बारे में आक्षेप किया गया है । यदि आवश्यक हो तो अलग से कागज जोड़ लें ।";

(iv) प्ररुप सं० 7 के स्थान पर, अप्रैल, 1972 के प्रथम दिन से निम्नलिखित प्ररुप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"प्ररुप सं० 7

(नियम 15 देखिए)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के अधीन मांग की सूचना

सेवा में,

———————

———————

———————

प्रास्थिति

———

जी० आई० आर सं०

आपको सूचित किया जाता है कि निर्धारण वर्ष————के लिए आपके द्वारा संदेय ————————रुपए की राशि, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, अवधारित की गई है।

2. इस रकम का संदाय इस सूचना की तारीख से 35 / ————————दिनों के अन्दर————

स्थित खजाना अधिकारी/उपखजाना अधिकारी अभिकर्ता, भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक को किया जाना चाहिए। उपर्युक्त राशि के संदाय के लिए 35 दिन से कम की अवधि अनुज्ञात करने के लिए सहायक आय-कर आयुक्त (निरीक्षण) का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। संदाय के प्रयोजन के लिए एक चालान संलग्न है।

3. यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर रकम का संदाय नहीं करते तो आप उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रारम्भ होने वाली तारीख से नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय धारा 220 (2) के अनुसार करने के दायी होंगें।

4. यदि आय कर की रकम का संदाय ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर नहीं करते तो धारा 221 के अनुसार आपको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, आप पर उतनी शास्तियां (जो बकाया कर की रकम के बराबर हो सकेगी) अधिरोपित की जा सकेगी।

5. यदि आप कर की रकम का संदाय ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर नहीं करते तो उसकी वसूली के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 222 से 229, 231 और 232 के अनुसार कार्यवाहियां की जाएंगी।

6. यह निर्धारण आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) के अधीन पूरा हो गया है। यदि आप इस निर्धारण के बारे में आक्षेप करते है तो आप निर्धारण के बारे ; आक्षेप करने के लिए, प्ररुप सं० 6-क में, इस मांग की सूचना की तामील की तारीख से एक मास के अन्दर मुझ को आवेदन कर सकते हैं।

7. चूंकि आप धारा 139 (2) के अधीन आय की विवरणी देने में असफल रहे हैं और आपने धारा 139 (4) या धारा 139 (5) के अधीन विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी नहीं दी। आप धारा 142 (1) के अधीन जारी की गई सूचना का अनुपालन करने में असफल रहे है। आप धारा 143 (2) के अधीन जारी की गई सूचना का अनुपालन करने में असफल रहे है, इस लिए यह निर्धारण

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 144 के अधीन किया गया है । किन्तु यदि आप धारा 139 (2) के अधीन विवरणी देने से पर्याप्तहेतुक के कारण से निवारित हो गए थे या आपको धारा 142 (1) या धारा 143 (2) के अधीन जारी की गई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी या आपको धारा 142 (1) या धारा 143 (2) के अधीन जारी की गई सूचना के निबन्धनों का अनुपालन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ था या आप उनका अनुपालन करने से पर्याप्तहेतुक के कारण निवारित हो गए थे तो आप धारा 146 के अधीन इस निर्धारण को रद्द करने के लिए और नए सिरे से निर्धारण करने के लिए कार्यवाही करने के लिए, इस सूचना की तामील की तारीख की एक मास के अन्दर, मुझ को आवेदन कर सकते हैं ।

8. यदि आप इस निर्धारण / जुर्माने/शास्ति / धारा 216 के अधीन संदेय ब्याज के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं तो आप आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 20 के भाग क के अधीन अपील, प्ररूप सं० 35 में, जो उस प्ररूप में यथा अधिकथित सम्यक रूप से स्टाम्पित और सत्यापित हो, सहायक आय-कर आयुक्त (अपील)————को, इस सूचना की प्राप्ति से तीस दिन के अन्दर, पेश कर सकते हैं ।

9. यह रकम आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा—— ———— के अधीन सहायक आय-कर आयुक्त (अपील)/ सहायक आय-कर आयुक्त (निरीक्षण)/आय-कर आयुक्त ———— के आदेश के परिणामस्वरूप देय हुई है । यदि आप पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहते है तो आप उक्त अधिनियम के अध्याय 20 के भाग-ख के अधीन अपील, प्ररूप सं० 36 में, जो उस प्ररूप में यथाअधिकथित सम्यक रूप से स्टाम्पित और सत्यापित हो, आय-कर अपील अधिकरण———— को, इस आदेश की प्राप्ति से साठ दिन के अन्दर, पेश कर सकते हैं ।

आय-कर अधिकारी

तारीख————————

स्थान———— पता

टिप्पणी :—(1) अनुपयुक्त पैरे और शब्दों को काट दीजिए।

(2) यदि आप रकम का संदाय चैक द्वारा करना चाहते हैं तो चैक खजाना अधिकारी/उप-खजाना अधिकारी/अभिकर्त्ता, भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक के नाम लिखा जाना चाहिए।

(3) यदि आप रकम के संदाय के लिए समय का विस्तार कराना चाहते हैं या किस्तों में संदाय करने की प्रस्थापना करते हैं तो, यथास्थिति, ऐसे विस्तारण या किस्तों में संदाय करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन, पैरा 2 में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व, आय-कर अधिकारी को करना चाहिए। उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् प्राप्त हुए किसी निवेदन की, धारा 220 (3) के विनिर्दिष्ट उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(V) प्ररूप सं0 21 में,—

(क) स्तम्भ 2 लुप्त कर दिया जाएगा और स्तम्भ 3, 4, 5, , 7, 8, 9 और 10 क्रमशः उसके स्तम्भ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9 के रूप में पुनः संख्यांकित किये जाएंगे ;

(ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्तम्भ 9 के पश्चात् एक नया स्तम्भ 10 अन्तःस्थापित किया जाएगा जिसका शीर्षक "तारीख जिसको कर की कटौती की गई थी' होगा।

(Vi) प्ररूप सं0 36 में,—

(क) मद 12क स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"12. तारीख, जिसको मद 3 में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए आय, यदि कोई हो, की विवरणी फाइल की गई थी।

13. तारीख, जिसको निर्धारिती की कोई ऐसी सूचना, यदि कोई हो, तामील की गई थी जिसमें उससे मद 3 में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए विवरणी फाइल करने के लिए कहा गया था।

14. अनुतोष जिसका अपील में दावा किया गया।

(ख) टिप्पणी सं0 2 में, "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "किसी ऐसे मामले में, जहां मद 12 और 13 के सामने दर्शित तारीख में से कोई तारीख, 1-4-1971 से पहले पड़ती हो, एक सौ रुपए और किसी अन्य मामले में एक सौ पच्चीस रुपए" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(Vii) प्ररूप सं0 37 में, —

(क) पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :—

"6. कि तारीख, जिसको उस निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल की गई थी जिसके बारे में निर्देश आवेदन किया गया है, — ————है और तारीख, जिसको निर्धारिती को कोई ऐसी सूचना, जिसमें उससे उस निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल करने के लिए कहा गया था, तामील की गई थी, ——————है।

7. कि नीचे यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेज या उनकी प्रतियां (दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद, जहां आवश्यक हो, उपाबद्ध है) मामले के कथन के साथ उच्च न्यायालय को अग्रेषित की जाएं।" ;

(ख) टिप्पणी में, "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "किसी ऐसे मामले में, जहां परा 6 में दर्शित तारीखों में से कोई तारीख, 1-4-1971 से पहले पड़ती हो, एक सौ रुपए और किसी अन्य मामले में एक सौ पच्चीस रुपए" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 52/फा०सं० 142 (29)/71-टी पी एल]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा आयकर अधिनियम के बहुत से उपबन्धों में संशोधन किये गये हैं जो 1 अप्रैल 1971 से लागू हैं। इन में से कुछ संशोधनों के कारण प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा बनायी गयी आयकर नियमावली 1962 में परिवर्तन की आवश्यकता है। एतदनुसार, प्रस्तुत अधिसूचना का आशय आयकर नियमावली 1962 के कुछ नियमों में 1 अप्रैल 1971 से निम्नलिखित संशोधन करना है:--

(i) कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1970 द्वारा आयकर अधिनियम में एक नई धारा 35-घ जोड़ी गई जिसके अन्तर्गत किसी निर्धारिती द्वारा कारबार आरम्भ करने से एवं अथवा अन्य औद्योगिक कारबार का विस्तार करने के सम्बन्ध में अथवा नयी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के सम्बन्ध में किये व्यय के परिशोधन की व्यवस्था है। इस अधिनियम द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 35ङ में एक और उपबन्ध जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा कुछ खनिज पदार्थों के लिए खोज करने और साथ ही किसी खान को अथवा ऐसे किसी खनिज पदार्थ के दूसरे प्राकृतिक भंडार को विकसित करने में किये गये व्यय के परिशोधन की व्यवस्था है। ये दोनों उपबन्ध भारतीय कम्पनियों तथा कम्पनियों से भिन्न निवासी कर-दाताओं पर लागू होते हैं। किन्तु किसी कम्पनी अथवा सहकारी समिति से भिन्न कर-दाता के मामले में व्यय-परिशोधन इस शर्त पर उपलब्ध है कि निर्धारिती के सम्बन्धित वर्षों के खातों की चार्टर लेखाकार अथवा ऐसे दूसरे लेखाकार द्वारा लेखा-परीक्षा की जाय जो कम्पनियों के खातों की लेखा-परीक्षा करने के लिए अर्हता रखते हों। सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत यह भी अपेक्षित है कि निर्धारिती को, जिस प्रथम वर्ष के सम्बन्ध में व्यय-परिशोधन के लिए दावा किया गया हो उससे सम्बन्धित अपनी आय विवरणी के साथ निर्धारिती प्रपत्र में, जिसमें लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षर तथा सत्यापन किया गया हो, और जिसमें यथा निर्धारिती ब्यौरे दिये गये हों, ऐसी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट भी भेजनी होगी। आयकर नियमावली 1962 में एक नया नियम 6कक तथा प्रपत्र सं० 3ख अन्तर्विष्ट करने की प्रस्ताव है जिससे लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रपत्र निर्धारित किया जा सके और साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 35घ और 35ङ के अन्तर्गत कटौती के प्रयोजन के लिए लेखा-परीक्षा में जो ब्यौरे दिये जाने होते हैं उन्हें भी निर्धारित किया जा सके।

(ii) आयकर अधिनियम की धारा 89 में, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1970 द्वारा संशोधन किये जाने से पूर्व यह व्यवस्था थी कि यदि किसी निर्धारिती के वेतन का कोई अंश बकाया के रूप में अथवा अग्रिम वेतन के इस रूप में अथवा अग्रिम वेतन के रूप में अदा किये जाने के कारण अथवा उसे 12 महीने से अधिक का वेतन किसी एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने के कारण अथवा ऐसी रकम प्राप्त

करने के कारण जो "वेतन के बदले में लाभ" हो, उसकी आय कर अन्यथा कर निर्धारण उस दर से ऊंची दर पर किया जाता था जिस पर उस आय का अन्यथा कर निर्धारण किया जाता। तो ऐसी हालत में निर्धारिती राहत का हकदार था। इसी प्रकार उस धारा में यह भी व्यवस्था थी कि यदि निर्धारिती की प्रतिभूतियां पर ब्याज से प्राप्त आय बकाया रकम के रूप में प्राप्त होने के कारण उसकी कुल आय का निर्धारण उस दर से ऊंची दर पर किया जाता था जिस पर अन्यथा निर्धारण किया जाता, तो ऐसी हालत में भी वह राहत पाने का हकदार था। संशोधन से पूर्व, इस धारा के अन्तर्गत दी जाने वाली उपयुक्त राहत आयकर आयुक्त के विवेक पर छोड़ दी गई थी और बोर्ड ने आयकर आयुक्त के मार्ग-दर्शन के लिये इस सिलसिले में कुछ अनुदेश जारी किये थे। कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1970 द्वारा किये गये संशोधन द्वारा इस धारा के अन्तर्गत राहत आयकर अधिकारी द्वारा, नियमों के अनुसार दी जानी है। अत. आयकर नियमावली 1962 में नये नियम 21-क और 21-ख जोड़ दिये गये हैं जिनमें ऐसे मामले में दी जाने वाली राहत निर्धारित की गयी हैं। चूंकि उपयुक्त उपबंधों के अन्तर्गत दी जाने वाली राहत निर्धारण-वर्ष 1971-72 से और उसके अनुवर्ती वर्षों से सम्बन्धित होगी, इसलिये इन संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के भी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आर० आर० खोसला,
सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (1)

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972